Received: Nov '23
Revised:
Accepted: Dec '23

© 2023 by the authors. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

A SOCIOLOGICAL ASSESSMENT OF INCREASING DEVIANCE AND SOCIAL CONTROL IN ADOLESCENTS

किशोरों में बढ़ती पथभ्रष्टता और सामाजिक नियंत्रण का एक समाजशास्त्रीय मूंल्याकन

Dr. Alka Rani Sharma
Assistant Professor, Department of Sociology,
Marudhara College, Hanumangarh, Rajasthan, India, 335802
E-mail: alkathepower19@gmail.com

ABSTRACT

How to deal with the problem of teenage deviance and how to control it. The whole world is worried about the seriousness of this problem. This problem has taken on a worrying form even in developed countries. As a result of industrialization and urbanization in India, this problem is gradually becoming acute. The size of cities is increasing with mixed populations, excessive mobility, and overcrowded conditions, which is having a negative impact on our basic systems and well-established social institutions. People, especially teenagers, are being affected on a large scale by this changing situation. In this maze of changing social values, they have become maladjusted and psychologically disturbed. In such a situation, the ugly face of the problem of misguidance or anti-social tendencies is emerging.

किशोर पथभ्रष्टता की समस्या से कैसे निपटा जायें, इसे किस प्रकार नियन्त्रित किया जायें। इस समस्या की गम्भीरता से पूरी दुनिया चिन्तित हैं। विकसित देशों में भी यह समस्या चिन्ताजनक रूप धारण कर चुकी हैं। भारत में औद्योगीकरण तथा शहरीकरण के परिणामस्वरूप यह समस्या धीरे–धीरे तीव्र होती जा रही हैं। बहुमेल जनसंख्या, अत्यधिक गतिशीलता तथा अति भीड़भाड़ वाली परिस्थितियों के साथ शहरों के आकार बढ़ते जा रहें हैं, जिसका हमारी मूल व्यवस्था तथा सुस्थापित सामाजिक संस्थाओं पर बुरा असर पड़ रहा हैं। इस बदलती हुई परिस्थितियों से लोग, विशेष रूप से किशोर वर्ग, बड़े पैमाने पर प्रभावित हो रहा हैं। बदलते हुए सामाजिक मूल्यों की इस भूल भुलैया में वे कुसंमजित तथा मनोवैज्ञानिक रूप से अशान्त हो गए हैं। ऐसे हालात में पथभ्रष्टता या समाज विरोधी प्रवृत्तियों की समस्या का कुरूप चेहरा उभर रहा हैं।

Keywords: किशोर पथभ्रष्टता, नियन्त्रण, विकसित देश, औद्योगीकरण, शहरीकरण, जनसंख्या, गतिशीलता, सामाजिक संस्था, परिस्थितियां, सामाजिक मूल्य, मनोवैज्ञानिक।

प्रस्तावना

किशोर पथभ्रष्टता में पथभ्रष्ट शब्द के प्रति लोगों की उत्सुकता बढ़ी हैं– खासतौर से वर्तमान परिवर्तनशील सामाजिक परिवेश के सन्दर्भ में व्यवहार जब मर्यादाओं का उल्लंघन करता है, तो पथभ्रष्ट कहलाता हैं। अतः पथभ्रष्ट व्यवहार ऐसा व्यवहार हैं, जो किसी सामाजिक व्यवस्था के मानक नियमों, समझदारियों तथा प्रत्याशाओं का उल्लंघन करता हैं। इस अर्थ में अपचार या अपराध, पथभ्रष्टता के आदि प्रारुप हैं। चाहे दोस्ताना समूह हों, परिवार हों, कार्यदल हों, कारखाने हों या समाज हों, सभी सामाजिक व्यवस्थाओं के स्वरूप में कुछ आदर्श नियम अन्तर्निहित होते हैं। किन्तु जिन नियमों के उल्लंघन का मतलब पथभ्रष्ट व्यवहार होता हैं, वे विधिक मानक होते हैं। इसमें पथभ्रम से लेकर गम्भीर व्यावहारिक अनियमितता, मामूली नियम भंग से लेकर कानून का गम्भीर उल्लंघन तक शामिल हैं। यह मानवीय परिस्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया का एक रूप हैं। इसमें समस्त जैवीय संरचना, बुद्धि,भावनात्मक अनुक्रिया, सांस्कृतिक वातावरण तथा अन्य लोगों के साथ सम्पर्क अन्तर्ग्रस्त होता है।

किशोर पथभ्रष्टता के कारक

कानून का कोई भी उल्लंघन जो आधिकारिक कार्यवाही का भागी हो जाता हैं, अपचार कहलाता है। अपचार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी कारक हैंः 1. भावनात्मक कारक, 2. आर्थिक कारक 3. वातावरण से संबंधित कारक 4. व्यक्तित्व से सम्बन्धित कारक। अपचार, बच्चे तथा उसके सम्पर्क में आने वाले व्यक्तियों की समस्या है। सामान्यतः अशान्त गृहस्थी, प्रतिकूल वातावरण तथा सामाजिक विघटन किशोरों के आचरण, आदर्शो, दृष्टिकोणों , हितों, भावनाओं तथा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। गरीबी पथभ्रष्टता या अपचार का प्रत्यक्ष कारण तो नहीं हैं। किन्तु बच्चे के ऊपर इसका प्रभाव अस्वास्थ्यकर और विनाशकारी हो सकता हैं। इसके अतिरिक्त अभाव, हताशा तथा भावनात्मक असुरक्षा आदि कारक बालक में समाज विरोधी भावनाओं को उत्पन्न करने में प्रबल भूमिका निभाते हैं। प्रत्येक बालक अपनत्व, प्यार और समझे जाने की इच्छा लेकर पैदा होता है। जैसे–जैसे वह बड़ा होता हैं, वह अपने माता–पिता तथा परिवार के अन्य सदस्यों से और भी ज्यादा स्नेह की अपेक्षा रखने लगता हैं।

किशोर की 4 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, अर्थात् सुरक्षा, जवाबी व्यवहार अर्थात् अनुपेक्षा, मान्यता और विकास। जब वह घर से बाहर निकलकर संसार में

अकेला विचरण करता हैं, और जब बाहरी दुनिया की हताशाएं, अग्नि परीक्षाएं और दुःख तकलीफ उसकी सहन सीमा से बाहर हो जाती हैं, तो वह घर–परिवार की छत्रछाया में वापस लौट आता हैं। इसके विपरीत यदि उसकी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति घर में पर्याप्त रूप से नहीं हो पाती तो वह हताश हो जाता हैं और किसी अन्य स्त्रोत से सन्तुष्टि पाने की कोशिश करता हैं। ऐसी ही परिस्थितियों में किशोर की पथभ्रष्टता और समाज विरोधी प्रवृत्तियाँ आरम्भ होती हैं। प्रायः वह घर से बाहर निकलकर असामाजिक तत्वों के सम्पर्क में आता हैं। और समाज विरोधी क्रियाओं में आनन्द लेने लगता हैं। समाज विरोधी प्रवृत्ति प्रत्येक मनुष्य में संभव है। यदि उसके शैशवकाल में उसका पालन–पोषण अनुकूल वातावरण में नहीं होता, तो ऐसी प्रवृत्ति प्रबल हो जाती हैं। बचपन के आरम्भिक वर्षो में अपने अभिभावकों तथा अन्य लोगों के साथ उसके भावनात्मक संबंध के आधार पर उसका व्यक्तित्व अच्छा या बुरा हो जाता हैं। वस्तुतः माता–पिता के व्यवहार का उसके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता हैं। सही और गलत की उसकी धारण का विकास माता–पिता के साथ उसके प्रारम्भिक साहचर्य पर आधारित होता हैं। सही गलत की यह समझ 'सुपरईगो' या 'अन्तर्रात्मा'कहलाती हैं। फ्राइड़ के अनुसार यह अन्तर्रात्मा परवर्ती जीवन में माता–पिता द्वारा बचपन में किये गये लाड़–प्यार तथा उनके द्वारा दिए गए प्रशिक्षण के प्रभाव का प्रतिनिधित्व करती हैं।

किशोरो में अपराध की दर

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरों के आंकड़ो के मुताबिक वर्ष 2014 में कुल 38,455, वर्ष 2015 में 33,433 और वर्ष 2016 में 35,849 मामलें किशोर अपराध के अंतर्गत पंजीकृत किए गए, जो कि बहुत सोचनीय हैं, क्योकि बच्चे देश और परिवार की नींव और उज्जवल भविष्य होते हैं।

संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ की एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट के मुताबिक भारत में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किशोरों की संख्या चौबीस करोड़ से अधिक हैं। यह आंकड़ा देश की जनसंख्या का एक चौथाई हिस्सा हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार बच्चों में गुस्से की प्रवृत्ति उनकी उम्र के अनुसार बदलती जाती हैं। वर्ष 2014 में 'इंडियन जर्नल साइकोलॉजिकल मेडिसिन' में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार लड़को में लड़कियों के मुकाबले अधिक गुस्सा देखने को मिलता हैं।

उपलब्ध सरकारी आँकड़ो के आधार पर इस समस्या के सही परिणाम का निर्धारण करना संभव नहीं हैं। क्योंकि किशोरों की समाज विरोधी गतिविधियों से अभी भी परम्परागत सामाजिक नियंत्रण व्यवस्था द्वारा ही निपटा जाता हैं। वस्तुतः किशोरों में पथभ्रष्टता की समस्या समुदाय में उनके सामान्य विकास को बाधित करने वाले अनेक कारकों का परिणाम होती हैं। उन्हें विशेष न्यायिक प्रक्रिया के जरियें, अच्छे और कानून को मानने वाले नागरिकों के रूप में समाज की मुख्यधारा में वापस लाया जाना जरूरी हैं। यह नीति मुख्यतः किशोर न्याय अधिनियम के कार्यान्वयन के माध्यम से लागू की गई हैं। ''मार्शल विलनार्ड'' के अनुसार सभी समाज ऐसे अप्रायिक व्यवहार से निपटने के लिए जो सामाजिक मानदण्डों के प्रतिकूल होता हैं, तरीके निकालते हैं। कभी–कभी उनके विरूद्ध शास्तियों के रूप में नकारात्मक प्रतिबंध तथा उनके प्रशंसनीय कार्यो पर, प्रशंसा तथा मान्यता के रूप में, रियायती अनुशास्तियां लगाई जाती हैं।

किशोरों पर सामाजिक –कानूनी नियंत्रण

सामाजिक निंयत्रण औपचारिक(सरकारी) और अनौपचारिक (गैर–सरकारी) होते हैं। औपचारिक निंयत्रण आमतौर पर कानून के अधीन स्थापित किसी सरकारी तन्त्र के द्वारा लगाए जाते हैं। किसी कानून का कार्यान्वयन एक व्यापक मशीनरी के हाथ में होता हैं जैसे पुलिस, न्यायपालिका तथा सुधारात्मक सेवाएं इत्यादि। सदियों तक मनुष्य ने समाज में होने वाले अवांछनीय कार्यो से अपने आपको अनौपचारिक तरीकों के द्वारा संयमित किया हैं। आजकल कानून आमतौर से शहरीकृत क्षेत्रों में तो बखूबी अपना काम कर रहा हैं। किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ समाजों में अभी भी परम्परागत अनौपचारिक सामाजिक निंयत्रण ही जारी हैं। उदाहरणतः कुछ कबीलाई समाजों में विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में अभी भी अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण अपने प्रारम्भिक रूप में ही विघमान हैं। इन क्षेत्रों में अपचारपूर्ण कृत्यों के बहुत मामूली प्रतिशत की रिपोर्ट पुलिस या किसी अन्य सरकारी एजेंसी को दी जाती है। रिपोर्ट दिये जाने योग्य अधिकतर समाज विरोधी गतिविधियां मुश्किल से ही आधिकारिक कार्रवाई के लिए सामने आ पाती हैं।

औपचारिक सामाजिक नियंत्रण में किशोर न्यायालय अधिनियम, 2015 में विशेष गृह, किशोर गृह आदि का उपबन्ध किया गया हैं, जिनमें सामान्य शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा तथा मनोरंजन सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। इन संस्थाओं में किशोरों को न केवल सुरक्षित वासस्थान तथा भरण पोषण उपलब्ध होता हैं, बल्कि उनके विकास के लिए सुविधाएं भी जुटाई जाती हैं। इस अधिनियम में बच्चों को उस अवधि के दौरान जबकि उनके मामलें किशोर न्यायालय के समक्ष लम्बित होते हैं, सुरक्षित स्थानों अर्थात् सम्प्रेषण गृहों की स्थापना का भी प्रावधान हैं। ये संस्थाएं न केवल भौतिक सुरक्षा, स्वस्थ वातावरण तथा स्वस्थ जीवन की सुविधाएं प्रदान करती हैं। बल्कि बच्चों को निकट से देखने तथा उसकी अभिवृत्ति तथा अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार उसका उपचार तथा प्रशिक्षण सुविधाएं विहित करने के अवसर भी प्रदान करती है। संप्रेक्षणगृह में परिवीक्षा अधिकारी की भूमिका अहम होती है। जब भी किसी बच्चें को पुलिस पकड़ती हैं। तो पुलिस अधिकारी तुरन्त सम्बद्ध परिवीक्षा अधिकारी को बच्चे से संबंधित विशिष्टियों की जानकारी देता हैं, ताकि

वह सामाजिक जांच आरम्भ कर सकें। बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि सहित विभिन्न बातों की पूरी जांच करने के लिए परिवीक्षा अधिकारी को किशोर अपचार की समस्या के समाजशास्त्रीय तथा मनोवैज्ञानिक पहलुओं की जानकारी होना जरूरी हैं। उसे मानव स्वभाव की गहरी समझ होनी चाहिए। बच्चे के बारें में सम्पूर्ण परिस्थितियों अर्थात् अभिभावकों, पड़ोसियों, अध्यापकों तथा नियोजक की रिपोर्ट, बच्चे के निदान तथा उपचार कार्यक्रम की आधारशिला होती हैं। इस प्रकार किशोर न्यायालय बच्चे के सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक पहलुओं से दिशानिर्देशित होता हैं, न कि उसके अपराध की गम्भीरता से होता है।

जब बच्चा किसी संस्था से छूटता है, तो प्रायः उसे समायोजन सम्बन्धी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता हैं। अतः किशोर न्याय अधिनियम में ऐसे सभी उपायों के लिए, जो संस्थाओं से छूटने वाले अन्तः वासियों के पुनर्वास में सहायक हो सकते हैं। 'पश्चातवर्ती देखरेख संगठनों' की स्थापना का प्रावधान हैं। सरकार या स्वैच्छिक अभिकरणों द्वारा स्थापित पश्चातवर्ती देखरेख संगठन, संस्थाओं से छूटने के बाद उन्हें उपलब्ध वातावरण के साथ सहज रूप से समंजित होने तथा समाज में एक ईमानदार, उद्यमशील तथा उपयोगी जीवन बिताने में सहायता प्रदान करने में मूल्यवान सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। एक सुनियोजित पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम से, संस्थाओं से छूटे किशोरों पर नियंत्रण भी रहता हैं, और उनके प्रत्यावर्तित होने की संभावना न्यूनतम हो जाती है।

संस्थागत सेवाएं एवं योजना

संस्थागत सेवाओं का परम्परागत तरीका, अपराध और अपचार की समस्या से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। यदि किशोर न्याय अधिनियम को पूरे देश में भी लागू कर दिया जायें , तो भी निराश्रयता और भिक्षावृत्ति की समस्याएं बनी रहेंगी। शहरी क्षेत्रों में , विशेष रूप से बड़े शहरों में, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जो इस अधिनियम के दायरें में नहीं आतें। ऐसे बच्चों के मामलों से निपटने के लिए गैर संस्थागत तथा समुदाय आधारित सेवाओं को आरम्भ करना आवश्यक हैं। इनका उद्देश्य सामाजिक नियंत्रण के लिए सामुदायिक संसाधनों का प्रयोग करना है। उपचार के गैर–संस्थागत तरीकों जैसे परिवीक्षा, पैरोल, कार्य केन्द्र, पोषण देखरेख, दत्तक ग्रहण आदि पर अधिक जोर दिया गया है।

तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान किशोर अपचार को रोकने के लिए गैर संस्थागत सेवाओं की एक योजना बनाई गई, जिसे प्रमुख शहरों में लागू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य सम्भावी अपचारियों, आवारा बालकों तथा भिखारियों को मनोंरजन, शिक्षा परामर्श, मार्गदर्शन, शिल्प प्रशिक्षण तथा कुछ धन उत्प्रेरण देकर, आरम्भ में ही इस रास्ते से दूर करना था। इस बात को पर्याप्त रूप से महसूस कर लिया गया हैं कि अपचार जैसी समाज विरोधी प्रवृतियाँ बच्चों में उनके बचपन में विकसित होती हैं, और इसका मुख्य कारण उनके अभिभावकों की निष्क्रियता और उपेक्षा भरा दृष्टिकोण होता हैं। अतः इसका प्रयास किया जाता हैं कि न केवल बच्चें को बल्कि परिवार, परिवेश, विद्यालय तथा समग्र समुदाय को भी योजना में शामिल किया जायें, क्योकि इन सब कारकों का प्रभाव उसके लालन–पालन पर पड़ता हैं, और यहीं से समाज विरोधी प्रवृत्तियों की शुरूआत होती हैं, यह योजना अब तक 6 शहरों में लागू की जा चुकी हैं। इसके अलावा मुम्बई, हैदराबाद, दिल्ली और मद्रास जैसे कुछ शहरों में कुसमायोजित बच्चों और उनके परिवारों को निवारक उपचार उपलब्ध कराने के लिए किशोर मार्गदर्शन ब्यूरों स्थापित किए गए हैं।

निष्कर्ष

अतः कहा जा सकता हैं कि सामाजिक कार्यवाही के व्यापक कार्यक्रम को ठीक ढंग से लागू किया जायें तो किशोरों की समाज विरोधी प्रवृत्तियों को रोका जा सकता हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में लोगों के बड़े पैमाने पर प्रवास के चलते परम्परागत सामाजिक नियंत्रण का ढांचा चरमरा गया है। अतः किसी विशेष क्षेत्र के लोगों के सहयोग को सुनिश्चित करने के लिए एक नए प्रकार की व्यवस्था को आरम्भ करना आवश्यक है। क्षेत्र के सभी सम्बद्ध व्यक्तियों, अभिभावकों, अध्यापकों, सामाजिक कार्यकर्त्ताओं और कानून को लागू करने वाले प्राधिकारियों को एकजुट किया जाना चाहिए और किशोर पथभ्रष्टता की समस्या को सामाजिक स्तर पर ही कारगर ढंग से सुलझाने के प्रयास किये जाने चाहिए। प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक स्थानीय नागरिक समिति का गठन किया जाना चाहिए। आमतौर पर ऐसी समस्याओं के प्रति लोगो का दृष्टिकोण निष्क्रिय होता हैं, और वे कोई सुधारात्मक कार्यवाही की पहल करने के इच्छुक नहीं होते । यदि लोग नागरिक समिति के कार्यक्रमों में सक्रियता से भाग लें, तो उनके संयुक्त प्रयासों से , किशोर पथभ्रष्टता की समस्या से निपटने हेतु क्षेत्र के लोगों में जिम्मेदारी की भावना को जागृत किया जा सकता है।

संदर्भ

1. आहूजा राम, आहूजा मुकेश (2011) : ''विवेचनात्मक अपराधशास्त्र'' रावत पब्लिकेशन, जयपुर एवं नई दिल्ली
2. भट्टचार्य, डॉ. सुनील कांत (2004) : ''भारत की सामाजिक समस्याएं मुद्दे और परिप्रेक्ष्य'' राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली

3. सिंह, शशि भूषण (2017) : ''अपराधशास्त्र'' अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली
4. सिंह, डॉ.निशांत (2016) : ''भारत में अपराध एक विश्लेषण'' ओमेगा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली
5. भटनागर, विकास (2008) : ''भारत में मानवाधिकारों की क्रियान्वितिः राजस्थान के अभियुक्त एवं अपराधियों के विशेष संदर्भ में''
6. आमेटा, राम तुलसी (2009) : ''बाल अपराध की समस्या का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन''
7. राठौर, इंद्र सिंह (2006) : ''अपराध एवं मानवाधिकार चेतना''
8. किशोर न्याय अधिनियम, 2015
9. अमर उजाला (आँकड़े–एनसीआरबी)